

य के रूप में	24. अधिपूचित लघु खनिज खानों के समान रूप से लघु खनिजों के अधिपूचित यदि किसी दूसरे खनिज की निकासी/तिर्याक डेकेदार उस क्षेत्र से करता है तो उस अवस्था में नए उपलब्ध खनिज पर अधिपूचित रायस्टी नियमानुसार श्रदा करना आवश्यक है ।
गोटे भाग कि	25. जिला स्तर पर पर्यावरण पर खनन से दुष्प्रभाव वारे जो सरकार द्वारा समिति का उपायुक्त की अध्यक्षता में गठन किया गया है द्वारा यदि किसी खान की स्वीकृति से पूर्व खनन के लिए अनुमोदित न किया जाए तो उस अवस्था में समिति का फैसला अन्तिम माना जाएगा ।
जो उन नीतियों	26. सरकार द्वारा समय-समय पर जो विश्वी कर व अन्य कर निर्धारित किए जाएं को श्रदा करने में बोलीदाता बाध्य होंगे ।
के मामलों	यदि नीतियों की गई खान का भाग निजी भूमि में है और जो भी इस भाग के लिए उच्च बोली देने में सफल हों, वह वह बोलीदाता इस निजी भूमि में उन्नी अवस्था में खनन करेगा जब भूमि मालिक से श्रमनापति प्रमाण-पत्र उच्च बोलीदाता से कराया ।
नम्न तरीकों	भाग-3-अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनेन्शियल कमिश्नर तथा कभिश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि ।
ता बोली में	गृह विभाग
जमा करवाएगा	अधिसूचना
अतिरिक्त 20	
जमा न करवा	शिवला-2, 8 जुलाई, 1997
कती है ।	यह गृह-बी0 (बी0) 3-1/96.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों, प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निजी सहायक (बर्ग-III परावर्तित) पद के लिए इस अधिसूचना के संलग्न उपावन्ध 'अ' अनुसार भर्ती एवं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—
या जाएगा ।	1. संज्ञित नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संज्ञित नाम, हिमाचल प्रदेश, महाअधिवक्ता कार्यालय में निजी सहायक (बर्ग-III परावर्तित) पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 है ।
ह उक्त द्वारा	(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की शर्त से प्रवृत्त होंगे ।
ए अधिष्ठा	आदेश द्वारा, एस0 एस0 बर्मा, आयुक्त एवं सचिव ।
समय अधिका	उपावन्ध 'अ'
इनके अतिरि	
दिखाता ग	
त होगी ।	महाअधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निजी सहायक (बर्ग-III परावर्तित) के पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम
हसी प्रकार में	
स्वीकृति प्राप्त	पद का नाम निजी सहायक
ने डेकेदार से	पदों की संख्या 1 (एक)
गई प्रतिभूति	भर्तीकरण बर्ग-III (परावर्तित)
अधिकारी/श	वेतनमान रु 2000-60-2060-70-2550-75-3000-100-3500 जमा 150 रुपये विशेष वेतन प्रति मास ।
डेकेदार द्वारा	सम पद श्रवण अधिवक्ता पद अधिवक्ता
त वन भूमि या	सभी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों लामू नहीं
यदि उन क्षेत्र	के लिए आयु ।
वकों में सहमति	सभी भर्ती किए जाने वाले लामू नहीं
एकत्रीकरण का	अधिसूचना के लिए प्रयुक्त न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं ।
होएगा, उन	आयु: लामू नहीं
के एकत्रीकरण	सभी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हता प्रोन्नति की दशा में लामू नहीं होगी ।
ऐसी दशा	

## 9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राप्ति-का 10 विवेक परीक्षितियों में और विहित कारणों से आदेश दें ।

## 10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।

## 11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाँ जिसमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा ।

वरिष्ठ वेतनमान आधुनिकियों में से, जिनका सेड में 6 वर्ष का नियमित सेवाकाल या (31-3-1991) तक की गई तदर्थ सेवा सहित) संयुक्त 6 वर्ष का नियमित सेवाकाल हों, प्रोन्नति द्वारा ।

टिप्पणी—1. प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सभी तदर्थ सेवा यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा-विहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-3-91 तक की गई कुल तदर्थ सेवा को शामिल करके) के आधार पर उपर्युक्त निदिष्ट उप-बन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे ।

परन्तु उन सभी पदधारियों को जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम होगी ।

परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती परन्तु की



अपेक्षाओं के कारण पदोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति को ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिप्टी-बिल्डिङ्गज धार्मिक ओरिजल प्रमोशन (रिजर्वेशन चाफ़ के कैम्पेज इन हिमाचल स्टेट नान-टैक्नीकल सर्विसेज) क्लस्, 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो, तथा इसके अन्तर्गत सरीयता लाभ दिये गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन चाफ़ के कैम्पेज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसेज) क्लस्, 1985 के नियम 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो व इसक अन्तर्गत सरीयता लाभ दिए गए हों।

टिप्पणी—2. इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति नियुक्ति से पूर्व 31-3-1991 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो संवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी :

परन्तु 31-3-91 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक बरीयता अस्तित्व में रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना ? जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए ? लागू नहीं
14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ? लागू नहीं
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ? लागू नहीं
16. आरक्षण उन्नत सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/विछोड़े वर्गों और अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के कवच जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होंगे।
17. शिथिल करने की शक्ति जहाँ राज्य सरकार की यह शक्ति हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ यह कारणों की अभिलिखित करने और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग

के परामर्श से अविश्वस्य नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

[Authoritative English text of this department notification No. Home-B (A) 3-1/96, dated 8-7-1997, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

## HOME DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 8th July, 1997

No. Home B-(A) 3-1/96.—In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Personal Assistant, Class-III (Non-Gazetted) in the Office of Advocate General, Himachal Pradesh, as per Annexure 'A' attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called Office of the Advocate General, Himachal Pradesh Personal Assistant (Class-III, Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1997.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatri, Himachal Pradesh.

By order,

S. N. VERMA,  
Commissioner-cum-Secretary

ANNEXURE 'A'

### RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PERSONAL ASSISTANT, CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE OFFICE OF ADVOCATE GENERAL, HIMACHAL PRADESH

- |  |  |
|--|--|
| 1. Name of the post  | Personal Assistant   |
| 2. Number of posts   | 1 (One)  |
| 3. Classification  | Class-III (Non-Gazetted)   |
| 4. Scale of pay  | Rs. 2000-60-2060-70-2530-75-3000-100-3500+Rs.1300 S.P.                                       |
| 5. Whether selection post or non-selection post ?  | Non-selection  |
| 6. Age for direct recruitment.   | Not applicable   |
| 7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.  | Not applicable   |
| 8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees ? | Age : Not applicable   |
| 9. Period of probation, if any.  | Two years subject to further extension for a period not exceeding one year as may be ordered |

10. Method of direct recruitment, by promotion, transfer, or the percentage of vacancies in by methods.

11. In case of promotion by deputy or grades from promotion/transition be made.



द्वारा इन अवस्थानों के नियंत्रण के द्वारा नियंत्रित	by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.	fit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
Department-1997, as institution	10. Method of recruitment.—whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	103% by promotion
ie power institution in consur Service t and Pro t, Class-III e General attached to	11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.	By promotion from amongst the Senior Scale Stenographers who possess 6 years regular service as regular combined with continuous <i>ad hoc</i> (rendered upto 31-3-91) service, in the grade.
rules may Himachal (Gazetted)	Note.—(1) In all cases of promotion, the <i>ad hoc</i> service rendered in the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on <i>ad hoc</i> basis upto 31-3-91) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.	Note.—(2) Similarly, in all cases of confirmation, <i>ad hoc</i> service rendered on the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service: Provided that <i>inter-se</i> seniority as a result of confirmation after taking into account, <i>ad hoc</i> service rendered upto 31-3-1991 shall remain unchanged.
in the dis adesh. order, VERMA, n-Secretary, INEXURE 'A' JLES FOR CLASS-III ADVOCATE ISH	Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post whichever is less.	12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition? As may be constituted by the Government from time to time.
tant	Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirement of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.	13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. Not applicable
(Gazetted)	Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder.	14. Essential requirement for a direct recruitment. Not applicable
060-70-2550 00+Rs.150		15. Selection for appointment to post by direct recruitment. Not applicable
le		16. Reservation The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
le		17. Departmental Examination Not applicable
applicable		18. Powers to relax Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H. P. S. C. relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
subject to mission for exceeding y be ord		

गृह विभाग

अधिलेखना

शिमला-2, 8 जुलाई, 1997

संख्या गृह-बी0 (बी0) 2-3/93.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, महाविद्यता, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष